कार्यालय-उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

निर्णय नं० 53/2018 दिनांकः- 14-05-2018

धारा 53 RTA :: निर्णय /डिकी ::

श्री कांतिलाल, मिथु, दुर्गा, सविता, पुत्री/ स्व. रूपलाल सहखातेदारों ने न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत केम्प वलोला में उपस्थित होकर सहमति बटवारा करने हेतु वाद पेश किया । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया सहखातेदारो द्वारा ग्राम वलोला की जमाबंदी संवत् 2073-76 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति तथा बंटवारा स्कीम जिसमें प्रत्येक का आने वाला हिस्सा एवं लगान को दर्शाया गया है तथा नक्शा ट्रेस जिसमें प्रत्येक के आने वाले हिस्सें को पृथक -2 रंग से दर्शाया गया है प्रस्तुत किया गया । बंटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस के संबंध में पटवारी हल्का एवं भू0अ0 निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट ली गई। एवं तहसीलदार द्वारा सहमति अनुसार बटवारें की अभिशंषा की गई ।

ग्राम वलोला पटवार हल्का वलोला की जमाबंदी सम्वत् 2073-76 की प्रमाणित प्रति अनुसार खाता संख्या 42 नया 36 पुराना खसरा नं0 1090 योग किता 1 योग रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा में श्री कांतिलाल, मिथु, दुर्गा, सविता, पुत्री/ स्व. रूपलाल सहखातेदार है। बंटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम वलोला के खाता नं0. 42 नया 36 पुराना के खसरा नं0 1090 — योग किता 1 योग रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा का सहखातेदारो के मध्य प्रस्तुत बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस अनुसार बटवारा किया जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर निर्णय /डिकी की पालना सुनिश्चित कर राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल-दरामद की कार्यवाही करे। बटवारा स्कीम एवं नक्शा ट्रेस निर्णय/डिकी का अभिन्न अंग रहेगा ।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर (राज.)